

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/60/2014

तारीख रजु 11.07.2014

उनवान

1. प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र जौहरी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी कृष्णा कालोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. शकुन्तला देवी पुत्री जौहरी लाल शर्मा पत्नी भागचंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी लवानिया मार्केट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर
3. फूलन देवी पुत्री जौहरी लाल शर्मा पत्नी सरवनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी लवानिया मार्केट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर

-----सायलान

बनाम

1. हुकम चंद पुत्र जौहरीलाल शर्मा वगैरह. जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी मकान न. 195/138, सेक्टर-19 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर
-----गैरसायलान 08

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 11.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक दावा ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 697,755,758,705,708,709,710 के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सायल वकील को तलवी पेश करने हेतु कई अवसर दिए गये। पत्रावली पत्रावली दिनांक 11.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 60/2014 प्रहलाद कुमार बगै. बनाम हुकमचन्द वगैरह अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



11.12.19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड हिण्डौन
हिण्डौन सिटी जिला करौली

